Regional Centre For Urban & Environmental Studies, Lucknow
(Estd. by Ministry of Urban Development, Govt. of India)

डा0 अंजुली मिश्रा
संयुक्त निदेशक

Ref. No. URC/ 994 /24/2017-18
Dated : 29/8/2017

सेवा में,

नगर पालिका परिषद
अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी
बांदा, मुगलसराय।

विषयः अमृत योजना में द्वितीय क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 04–06 सितम्बर, 2017 को "E-Governance, Administrative Efficiency & Reforms and Solid Waste Management" विषय पर त्रि–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या–4466(1)/9–5–15–227/सा/2015 दिनांक 30.07.2015 के द्वारा क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ को **अटल मिशन फॉर रिजूवैनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफारमेशन (AMRUT) योजना** के अन्तर्गत रिसोर्स सेन्टर नामित किया गया है तथा मिशन निदेशक (अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या एसएमएमयू/725/513/2016 दिनॉक 08/अक्टूबर/2016 द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किये जाने के निर्देश भी निर्गत किये गये है।

अमृत योजना के अन्तर्गत प्रतिभागियों को तीन चरणों Orientation Training, Capsule – 2 & Capsule – 3 में प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। **पूर्व में जिन प्रतिभागियों के द्वारा Orientation Training का प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है उन्ही प्रतिभागियों की Capsule – 2 के अंतर्गत Advance Training दिया जाना प्रस्तावित है।** जिसके अन्तर्गत **"E-Governance, Administrative Efficiency & Reforms and Solid Waste Management"** विषय पर त्रि–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय स्थित सभागार कक्ष में **04–06 सितम्बर, 2017** को आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक **04 सितम्बर, 2017 को *प्रातः* 10.00 *बजे*** से प्रारम्भ होगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु केन्द्र के पत्रांक यूआरसी/942/24/2017–18 दिनॉक 23 अगस्त 2017 द्वारा नगर निगम/नगर पालिका परिषद के 30 **अधिशासी अधिकारी** को नामित किया गया है।

आपको अवगत कराना है कि दिनॉक 28–30 अगस्त, 2017 को हो रहे **"E-Governance, Administrative Efficiency & Reforms and Solid Waste Management"** विषय पर केन्द्र के पत्रांक यूआरसी/891/24/2017–18 दिनॉक 17 अगस्त, 2017 द्वारा नगर पालिका परिषद **बांदा से श्री विरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अधिशासी अधिकारी एवं मुगलसराय से श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधिशासी अधिकारी** को नामित किया गया था परन्तु किन्ही कारणवश इनके द्वारा 28–30 अगस्त, 2017 में प्रतिभाग नही किया गया। अतः इनका पुनः नामाकंन दिनॉक **04–06 सितम्बर, 2017** को किया जा रहा है।

कृपया सूची के अनुसार ही प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित करते हुए उनका प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित करें।

क्रमशः..............

Office : Adj. Registrar's Office, University of Lucknow, Lucknow-226 007
Telefax. 0522-2740165, 2740108
E-mail : directorrcueslko@gmail.com, Website : www.rcueslucknow.org

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस. कार्यक्रम के दौरान भोजन और ठहरने की व्यवस्था केन्द्र के द्वारा निःशुल्क प्रदान की जायेगी तथा यात्रा पर होने वाला व्यय नगर निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा वहन किया जायेगा।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबंधित नामित अधिकारी द्वारा भाग लेना अनिवार्य है। सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग न करने की दशा में संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय को प्रस्ताव भेज दिया जायेगा।

कार्यक्रम के सम्बन्ध में अधिक जानकारी श्री अजय कुमार पाण्डेय, कम्पयूटर स्पेशलिस्ट, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र के मोबाइल नं0–09415044871 पर प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि स्थानीय निकाय निदेशालय की वेबसाइट localbodies.up.nic.in पर निदेशालय के महत्वपूर्ण पत्र/प्रपत्र/आदेश के AMRUT/Smart City के कॉलम पर तथा केन्द्र की वेबसाइट www.rcueslucknow.org पर भी उपलब्ध है। समबन्धित पत्र को उपरोक्त दोनों वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीया,

अंजुली

(अंजुली मिश्रा)

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः

1. विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित निकायों को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित पत्र को नगरीय निकाय निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने एवं प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग हेतु निर्देशित करने के साथ–साथ किसी भी विशेषज्ञ को प्रथम दिवस एवं अंतिम दिवस पर प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. निदेशक, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एन.आई.यू.ए.), प्रथम एवं द्वितीय तल, कोर–4 बी, इण्डिया हैबीटेट सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक (अमृत), शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, बांदा, मुलसराय एवं इस आशय से प्रेषित कि संलग्न सूची के अनुसार संबंधित अधिकारी को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. कोर्स कोआर्डिनेटर, आरसीयूईएस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. प्रशासनिक अधिकारी/व्यवस्थाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, आरसीयूईएस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. प्रकाशन अधिकारी, आरसीयूईएस को केन्द्र की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. श्री बी0डी0 मुखर्जी, निजी सचिव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह समबन्धित निकायों में दूरभाष पर नामांकित निकाय अधिकारी को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु अवगत करायेंगे।

(अंजुली मिश्रा)